भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2231

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन

†2231. श्री राजू बिष्टः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों) पीएचसी, (उप-स्वास्थ्य केन्द्रों) एसएचसी, (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों) सीएचसी और (स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों) एचडब्ल्यूसी की संख्या ब्लाक-वार कितनी है;
(ख) वर्ष 2019 से अब तक उक्त जिलों में पीएचसी, एसएचसी, सीएचसी और एचडब्ल्यूसी के उन्नयन के लिए ब्लॉक-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और
(ग) इस संबंध में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार, मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है।

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यशील स्वास्थ्य सुविधा-केन्द्रों का विवरण, साथ ही उपलब्ध संसाधनों की सूचना, हेल्थ डायनेमिक ऑफ इंडिया (एचडीआई) 2022-23 के निम्नलिखित यूआरएल पर देखी जा सकती है:
https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे अपने अधिकार-क्षेत्र में जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को आवश्यकता और उपलब्ध निधि के अनुसार सुदृढ़ करें।तथापि, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रयासों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता प्रदान करती है। योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	**केंद्र द्वारा जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)**
2019-20	1,749.32
2020-21	1,895.01
2021-22	1,654.26
2022-23	1,252.32
2023-24	890.42
2024-25	688.44
2025-26	522.46 (दिनांक 19.11.2025 तक)

पश्चिम बंगाल राज्य, जिसमें दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले शामिल हैं, के लिए वर्ष 2019 से स्वीकृत स्वास्थ्य परियोजनाओं का विवरण सार्वजनिक रूप से निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=62&lid=75

- **पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटक (सीएस) शामिल हैं और इस योजना की अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए है जिसका परिव्यय 64,180 करोड़ रुपये है।

पीएम-एबीएचआईएम के सीएसएस घटक के तहत, पश्चिम बंगाल राज्य को वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की योजना अवधि के दौरान 385 भवन-रहित उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), 204 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम), 23 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 22 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 1309.32 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

दार्जिलिंग जिले में, 1 आईपीएचएल और 1 सीसीबी को क्रमशः 1.25 करोड़ रुपये और 23.75 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया है। जबकि कलिम्पोंग जिले में, 1 आईपीएचएल को 1.25 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया है।

- **पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-एक्सवी) स्वास्थ्य अनुदान:** पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-एक्सवी) के स्वास्थ्य अनुदान के तहत, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 4318.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं जो 1551 भवन-रहित उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), 80 भवन-रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), 7 भवन-रहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), 341 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों और 1584 शहरी-आयुष्मान आरोग्य केंद्रों (एएएम) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए है।

*****